मंगोलिया
और
भारत गणराज्य
के बीच
दण्डनीय मामलों में परस्पर कानूनी सहायता
से संबद्ध संधि

.....

मंगोलिया और भारत गणराज्य जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

दण्डनीय मामलों में सहयोग और परस्पर विधिक सहायता के माध्यम से आतंकवाद सहित अपराध की जाँच करने, मुकदमा चलाने और अपराध का दमन करने में दोनों पक्षों की प्रभावकारिता में सुधार लाने की इच्छा रखते हुए,

निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं

भाग -I - सामान्य प्रावधान
अनुच्छेद - एक
परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करने की बाध्यता

1. दोनों संविदाकारी पक्ष इस संधि के अनुसरण में एक-दूसरे को दण्डनीय मामलों में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 के प्रयोजनार्थ परस्पर सहायता किसी दण्डनीय मामले में अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में आने वाली जाँच-पड़तालों अथवा कार्यवाहियों के संबंध में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा दी गई कोई भी सहायता होगी, चाहे वह सहायता किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य अधिकरण द्वारा मांगी गई हो अथवा उपलब्ध कराई जानी हो।

3. इस अनुच्छेद के पैरा-1 के प्रयोजनार्थ दण्डनीय मामलों का अभिप्राय मंगोलिया के संबंध में मंगोलिया के आपराधिक कानून द्वारा अधिनियमित किसी अपराध से सम्बद्ध जाँच-पड़ताल अथवा कार्यवाहियों से है और भारत गणराज्य के

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

संबंध में इसका अभिप्राय संसद के किसी कानून अथवा राज्यों की विधायिकाओं द्वारा विधिकृत किसी अपराध से संबंधित जाँच-पड़ताल अथवा कार्यवाहियों से है।

4. आपराधिक मामलों में आतंकवाद को कायम रखने की गतिविधियों सहित कराधान, शुल्क, सीमा-शुल्क और पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय हस्तान्तरण, अथवा भुगतानों से संबंधित दण्डनीय अपराधों से संबद्ध जाँच-पड़ताल अथवा कार्यवाहियाँ शामिल हैं।

5. इसके अलावा दण्डनीय मामलों में आतंकवाद, अर्थात् राजनीतिक हितों अथवा जनता में भय फैलाने के लिए हिंसा के उपयोग जैसे दण्डनीय अपराधों से संबद्ध जाँच-पड़ताल अथवा कार्यवाहियों, भी शामिल होंगी ।

6. इस सहायता में निम्नलिखित बातें शामिल होंगीः

6.1 व्यक्तियों और वस्तुओं का पता लगाना और उनकी पहचान करना,

6.2 दस्तावेजों की तामील करना जिनमें व्यक्तियों की उपस्थिति मालूम करने से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं,

6.3 आपराधिक अभिलेखों, सरकारी अभिलेखों तथा न्यायिक अभिलेखों सहित सूचना दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों को उपलब्ध कराना,

6.4 सम्पत्ति की सुपुर्दगी,

6.5 प्रदर्श देना,

6.6 व्यक्तियों के साक्ष्य लेना और बयान लेना,

6.7 तलाशी और गिरफ्तारी से संबंधित अनुरोध निष्पादित करना,

6.8 साक्ष्य देने अथवा जाँच-पड़ताल में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों सहित व्यक्तियों तथा अन्यों को अभिरक्षा में उपलब्ध कराना,

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

6.9 अपराध के अर्थागम का पता लगाने, रोकने, अभिग्रहण करने और जब्त करने के उपाय करना,

6.10 आतंकवाद के प्रयोजनार्थ निधियों का पता लगाने, पहचान करने, रोकने, अभिग्रहण करने और जब्त करने के उपाय करना, और

6.11 इस संधि के प्रयोजनों के अनुरूप अन्य सहायता उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद - दो
अनुरोधों का निष्पादन

1. सहायता का अनुरोध, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार और जहाँ तक उक्त कानून द्वारा इसे निषेध नहीं किया गया हो, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से तत्परता से निष्पादित किया जाएगा।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, जब अनुरोधकर्ता पक्ष विशेष रूप से ऐसा अनुरोध करें, अनुरोधकर्ता पक्ष को अनुरोध के निष्पादन के समय और स्थान की सूचना देगा।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष बैंक गोपनीयता के आधार पर अनुरोध निष्पादित करने से इंकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद - तीन
सहायता से इंकार अथवा स्थगन

1. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की राय में अनुरोध के निष्पादन से उसकी सम्प्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा किसी अन्य अनिवार्य जनहित को नुकसान पहुँचता हो तो सहायता से इंकार किया जा सकता है।

2. यदि अनुरोध के निष्पादन से अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में पहले से चल रही जाँच-पड़ताल अथवा अभियोजन में हस्तक्षेप होता हो तो अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष द्वारा सहायता स्थगित रखी जा सकती है।

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष को पूरे अथवा आंशिक रूप से अनुरोध का अनुपालन न करने अथवा निष्पादन स्थगित करने के निर्णय की तुरंत सूचना देगा और उक्त निर्णय के कारणों का उल्लेख करेगा।

4. सहायता के लिए अनुरोध की मंजूरी प्रदान करने से पूर्व अथवा इस प्रकार की सहायता को स्थगित रखने से पूर्व अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह विचार करेगा कि क्या सहायता ऐसी शर्तों के अध्यधीन दी जा सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे। यदि अनुरोधकर्ता पक्ष इन शर्तों के अधीन सहायता स्वीकार कर लेता है तो वह उनके साथ इसका अनुपालन करेगा।

भाग -II - विशिष्ट प्रावधान

अनुच्छेद - चार

व्यक्तियों और वस्तुओं की अवस्थिति अथवा उनकी पहचान

अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और वस्तुओं का पता लगाने और पहचान करने के लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे।

अनुच्छेद - पाँच

दस्तावेजों की तामील

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष तामील के लिए उसे भेजे गए दस्तावेजों की तामील करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष अनुसूचित उत्तर अथवा उपस्थिति से पूर्व यथोचित समय के भीतर अनुरोधकर्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में उत्तर अथवा उपस्थिति से संबंधित किसी दस्तावेज की तामील के लिए अनुरोध भेजेगा। यथोचित समय क्या है, यह निर्धारित करने में अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोध कर्ता पक्ष द्वारा बताए गए तरीके से तामील हो जाने का प्रमाण भेजेगा। यदि तामील करने में देरी होती है अथवा तामील नहीं की जा सकती तो अनुरोधकर्ता पक्ष को उसके लिए कारण बताए जाएंगे।

अनुच्छेद - छह
दस्तावेजों और वस्तुओं का प्रेषण

1. जब सहायता का अनुरोध अभिलेखों और दस्तावेजों के प्रेषण से संबंधित हो तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष उनकी प्रमाणित सत्य प्रतियाँ भेज सकता है जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने स्पष्ट रूप से मूल प्रतियाँ भेजने का अनुरोध न किया हो, जिस मामले में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोध पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष को भेजे गए मूल अभिलेख अथवा दस्तावेज अथवा वस्तुएँ अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को उसके अनुरोध पर यथाशीघ्र लौटा दिए जाएंगे।

3. जब तक अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानून द्वारा निषिद्ध न हो, अभिलेख, दस्तावेज अथवा वस्तुएँ एक प्रपत्र में अथवा साथ लगे किसी ऐसे प्रमाण के साथ भेजी जाएंगी जैसा कि अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार उन्हें ग्राह्य बनाने के लिए अनुरोध किया गया हो।

अनुच्छेद - सात
अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाहियों में संलिप्त व्यक्तियों की उपस्थिति

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में गवाही देने तथा दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए जिस व्यक्ति से अनुरोध किया गया है, उसे आवश्यकता पड़ने पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानून की अपेक्षाओं के अनुसार सम्मन अथवा आदेश द्वारा उपस्थित होने और ऐसे दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अपने कानूनों के अनुसार, अनुरोध के निष्पादन के दौरान अनुरोध में विनिर्दिष्टानुसार ऐसे व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति देगा और जिन व्यक्तियों से प्रश्न किए जा रहे हैं उनसे प्रश्न पूछने की उन्हें अनुमति दे सकता है।

3. अनुरोध निष्पादन के समय उपस्थित व्यक्तियों को कार्यवाही की शब्दशः प्रतिलिपि लेने की अनुमति दी जाएगी। जिस सीमा तक अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानून द्वारा निषिद्ध न हो, ऐसी शब्दशः प्रतिलिपि लेने के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

अनुच्छेद - आठ
अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में साक्ष्य देने अथवा जाँच में सहायता देने के लिए व्यक्तियों की उपलब्धता

1. अनुरोधकर्ता पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष से किसी जाँच में साक्ष्य देने अथवा सहायता देने के लिए किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकता है।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष जाँच में सहायता देने अथवा कार्यवाहियों में गवाह के रूप में व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगा और यह कोशिश करेगा कि वह व्यक्ति इन कार्यवाहियों में स्वेच्छा से अपनी सहमति दे । ऐसे व्यक्ति को किसी भी देय खर्च और भत्तों की सूचना दी जाएगी। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष को ऐसे व्यक्ति के उत्तर की तुरंत सूचना देगा।

अनुच्छेद - नौ
तलाशी और अभिग्रहण

1. जिस सक्षम प्राधिकारी ने तलाशी और अभिग्रहण का अनुरोध निष्पादित किया हो, वह संबंधित अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा यथापेक्षित सूचना उपलब्ध कराएगा, किन्तु वह सूचना अभिग्रहीत दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं की पहचान, स्थिति, सम्पूर्णता और अधिकार की निरन्तरता और अभिग्रहण की परिस्थितियों तक सीमित नहीं होगी ।

2. किन्हीं अभिग्रहीत दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा वस्तुओं जिन्हें अनुरोधकर्ता पक्ष के सुपुर्द किया जाना है, के संबंध में अनुरोधकर्ता पक्ष को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा।

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

अनुच्छेद - दस
साक्ष्य देने अथवा जाँच में सहायता करने के लिए अभिरक्षा में व्यक्तियों को उपलब्ध कराना

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों को अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर जाँच में सहायता देने अथवा कार्यवाहियों में साक्ष्य देने के लिए अनुरोधकर्ता पक्ष को अस्थायी तौर पर हस्तान्तरित किया जाएगा बशर्ते कि वह व्यक्ति उस हस्तान्तरण के लिए राजी हो और उस व्यक्ति के हस्तान्तरण के विरूद्ध कोई अध्यारोही आधार न हो। अनुरोधकर्ता पक्ष उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेगा और अनुरोध का निष्पादन पूरा हो जाने पर उस व्यक्ति को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की अभिरक्षा में लौटाएगा।

2. जहाँ सजा की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष को यह परामर्श देता हो कि हस्तान्तरित व्यक्ति को और अधिक समय तक अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी दशा में उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा जैसे कि उसे इस संधि के अनुच्छेद-आठ के अनुपालन में बुलाया गया हो ।

अनुच्छेद - ग्यारह
सुरक्षित आचरण

1. किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के आशय से किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में मौजूद किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा अथवा इस संधि के अनुच्छेद - दस के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट बातों को छोड़कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अन्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, न ही उस व्यक्ति पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र से उस व्यक्ति के प्रस्थान करने से पूर्व के किन्हीं कृत्यों अथवा भूल-चूक के लिए उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, न ही उस व्यक्ति को किसी ऐसी कार्यवाही में, उन कार्यवाहियों को छोड़कर जिनका अनुरोध से सम्बन्ध है, साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाएगा।

2. यदि किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्त्ता पक्ष का अधिकार क्षेत्र छोड़ने के लिए मुक्त किया जा रहा है, उसने इस आशय की आधिकारिक अधिसूचना कि उस व्यक्ति की उपस्थिति की और आगे कोई आवश्यकता नहीं है, के पश्चात 30 दिन की अवधि के भीतर उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा है अथवा वह व्यक्ति उक्त अधिकार क्षेत्र को छोड़ने के बाद स्वेच्छा से लौट आया है तो इस अनुच्छेद के पैरा-। के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

3. यदि कोई व्यक्ति जो अनुरोधकर्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में उपस्थित होने में असफल रहता है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा उसके विरूद्ध कोई प्रतिबंध अथवा अनिवार्य उपाय नहीं किए जा सकते।

अनुच्छेद - बारह
अपराध के अर्थागम

1. अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि आतंकवाद के प्रयोजनार्थ निधियों सहित किसी अर्थागम का पता उसके क्षेत्राधिकार के भीतर चला है और वह अपने जाँच के परिणामों को अनुरोधकर्ता पक्ष को अधिसूचित करेगा।

2. आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए निधियों सहित अपराध के अर्थागम के समापहरण अथवा अधिहरण पक्का करने के लिए सहायता का अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार की सहायता अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार हर उपयुक्त तरीके से दी जाएगी। इसमें अनुरोधकर्ता पक्ष में किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को प्रभावी बनाना अथवा अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष में समपहरण अथवा अधिहरण आदेश प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करना शामिल है।

3. सम्पत्ति के नियंत्रण में सहायता के लिए अनुरोध यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि यह अर्थागम की वसूली के आदेश की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध है।

4. इस संधि के अनुपालन में समपहरण अथवा अधिहरण किया अर्थागम अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष को प्राप्त हो जाएगा जब तक किसी विशेष मामले में अन्यथा सहमति न हुई हो ।

5. जहां इस अनुच्छेद के पैरा 1 अथवा 2 के अन्तर्गत सहायता के लिए अनुरोध के अनुसरण में अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष में कार्रवाई की गई हो और भारत गणराज्य तथा मंगोलिया में, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन किया गया हो तो संबंधित संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को यथाशीघ्र इसकी सूचना देगा और उसे अभ्यावेदन के परिणाम के बारे में भी तुरंत जानकारी देगा ।

भाग III - प्रक्रिया
अनुच्छेद - तेरह
अनुरोध की विषय वस्तु

1. सभी मामलों में सहायता के अनुरोधों में ये बातें शामिल होंगी:

1.1 अनुरोध से सम्बद्ध जांच, आपराधिक अभियोजन अथवा कार्यवाहियों को चलाने वाला सक्षम प्राधिकारी ;

1.2 संगत तथ्यों और कानूनों की प्रति अथवा सार सहित जांच, आपराधिक अभियोजन अथवा कार्यवाही की प्रकृति का वर्णन ;

1.3 प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया हो तथा मांगी गई सहायता का स्वरूप ; और

1.4 कोई समय सीमा जिसके भीतर अनुरोध का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई हो ।

2. सहायता के अनुरोधों में निम्नलिखित जानकारी भी शामिल होगी ;

2.1 जहां संभव हो, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की पहचान, राष्ट्रीयता और अवस्थिति, जो जांच अथवा कार्यवाही के अध्यधीन हो ;

2.2 जहां आवश्यक हो, किसी विशेष प्रक्रिया अथवा अपेक्षा और उसके लिए कारण जिसका अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुपालन करना चाहता हो ;

2.3 साक्ष्य लेने अथवा तलाशी करने और अभिग्रहण से संबंधित अनुरोधों के मामले में यह विश्वास करने के आधार को दर्शाने वाला बयान कि साक्ष्य का पता अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में चल सकता है ;

2.4 किसी व्यक्ति से साक्ष्य लेने से संबंधित अनुरोधों के मामले में यह जानकारी, कि उस साक्ष्य की सशपथ, स्वीकारोक्ति लेने की आवश्यकता है अथवा अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष के कानून के अनुरुप अन्यथा ली जानी हो, और वांछित साक्ष्य अथवा बयान के विषय का वर्णन ;

2.5 प्रदर्शों को भेजने के मामले में ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी जो प्रदर्श को अपने अधिकार में लेंगे, वह स्थान जहां से प्रदर्श को ले जाया जाना है, की जाने वाली कोई भी जांच और तारीख जब तक कि प्रदर्श को लौटाया जाना है;

2.6 व्यक्तियों को अभिरक्षा में उपलब्ध कराने के मामले में, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी, जिनकी अभिरक्षा में अन्तरण के दौरान वे व्यक्ति होंगे, वह स्थान जहां अभिरक्षा में उस व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जाना है और वह तारीख जिस तक उस व्यक्ति को वापिस किया जाएगा ;

2.7 गोपनीयता और उसके कारणों की आवश्यकता, यदि कोई हो ;

2.8 अन्य कोई भी सूचना जो अनुरोध निष्पादन में उपयोगी हो सकती हो ।

3. यदि अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष यह समझता है कि अनुरोध में निहित सूचना अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह पक्ष अतिरिक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है।

4. अनुरोध लिखित में किया जाएगा। तात्कालिक परिस्थितियों में अथवा जहां अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष द्वारा अन्यथा अनुमति दी गई हो अनुरोध प्रतिलिपि द्वारा अथवा इलैक्ट्रोनिक संचार के अन्य सहमत माध्यमों द्वारा किया जा सकता है किन्तु उसके बाद मूल रूप से लिखित में उसकी तत्परता से पुष्टि की जाएगी।

अनुच्छेद - चौदह
केन्द्रीय प्राधिकरण

इस संधि के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय प्राधिकरण सभी अनुरोधों और उनके उत्तरों को भेजेंगे और प्राप्त करेंगे।

भारत गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण भारत गणराज्य का गृह मंत्रालय होगा और मंगोलिया के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण अभियोजक का कार्यालय होगा।

अनुच्छेद - पन्द्रह
गोपनीयता

1. अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी अथवा साक्ष्य अथवा ऐसी जानकारी अथवा साक्ष्य के स्रोत को गुप्त रखने अथवा केवल ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रकट करने अथवा उपयोग में लाने की मांग कर सकता है जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे। यदि अनुरोधकर्त्ता पक्ष ऐसी शर्तों के अध्यधीन जानकारी अथवा साक्ष्य स्वीकार कर लेता है तो उसे इन शर्तों का अनुपालन करना होगा।

2. अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष, अनुरोध करने पर और अनुरोध की सीमा तक किसी अनुरोध, उसकी विषय वस्तु, संलग्न दस्तावेजों और अनुरोध के अनुपालन में की गई किसी कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखेगा। यदि अनुरोध को गोपनीयता भंग किए बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता तो उस दशा में अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष

अनुरोधकर्त्ता पक्ष को उस आशय की सूचना देगा जो यह निर्धारित करेगा कि वह अनुरोध उस परिस्थिति में भी निष्पादित किया जाए अथवा नहीं ।

अनुच्छेद - सोलह
उपयोग की सीमा

अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष के केन्द्रीय प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना प्रस्तुत की गई सूचना अथवा साक्ष्य का, अनुरोध में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए न तो प्रकट करेगा और न ही उपयोग करेगा ।

अनुच्छेद - सत्रह
प्रमाणन

इस संधि के अनुच्छेद - छह में विनिर्दिष्ट बातों को छोड़कर इस संधि के अनुपालन में भेजे गए साक्ष्यों और दस्तावेजों में किसी प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी ।

अनुच्छेह - अठारह
भाषाएं

इस संधि का अनुपालन करते समय संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्र भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करते हुए अपनी राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करेंगे ।

अनुच्छेद - उन्नीस
कोंसली अधिकारी

1. कोंसली अधिकारी प्राप्तकर्त्ता राज्य के क्षेत्र में बिना किसी औपचारिक अनुरोध के स्वैच्छिक आधार पर गवाह का साक्ष्य ले सकते हैं । अभिप्रेत कार्यवाहियों की पूर्व सूचना प्राप्तकर्त्ता राज्य को दी जाएगी । वह राज्य इस संधि के अनुच्छेद-तीन में व्यवस्थित किसी कारण के लिए अपनी सहमति देने से इन्कार कर सकता है ।

2. कोंसली अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जो स्वेच्छा से कोंसली परिसर में उपस्थित है, दस्तावेज की तामील कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - बीस
खर्च

1. अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष सहायता के अनुरोध को निष्पादित करने की लागत वहन करेगा, किन्तु अनुरोधकर्त्ता पक्ष निम्नलिखित का खर्च वहन करेगाः

1.1 अनुरोधकर्त्ता पक्ष के अनुरोध पर किसी व्यक्ति को अनुरोध प्राप्तकर्त्ता के अधिकार क्षेत्र में अथवा से लाने ले जाने से संबद्ध खर्च और इस संधि के अनुच्छेद - सात अथवा आठ के अन्तर्गत अनुरोध के अनुपालन में अनुरोधकर्त्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में प्रवास के समय उक्त व्यक्ति को देय कोई भत्ता अथवा खर्च ;

1.2 अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष अथवा अनुरोधकर्त्ता पक्ष के अधिकार क्षेत्र में विशेषज्ञों का खर्च और शुल्क ।

2. यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुरोध के निष्पादन में असामान्य मात्रा में खर्च अपेक्षित है, तो दोनों संविदाकारी पक्ष ऐसी शर्तें निर्धारित करने के लिए परामर्श करेंगे जिनके अन्तर्गत अनुरोध की गई सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है ।

भाग द्ब IV - अन्तिम प्रावधान
अनुच्छेद - इक्कीस
सहयोग के अन्य आधार

इस संधि से अन्य संधियों, व्यवस्थाओं अथवा अन्यथा के अनुपालन में संविदाकारी पक्षकारों के बीच निभाये जा रहे दायित्व कम नहीं होंगे अथवा यह संधि संविदाकारी पक्षकारों को अन्य संधियों, व्यवस्थाओं अथवा अन्यथा के अनुपालन में एक दूसरे को सहायता उपलब्ध कराने अथवा सहायता उपलब्ध कराते रहने से नहीं रोकेगी ।

अनुच्छेद - बाईस
प्रयुक्ति का क्षेत्र

यह संधि इसके लागू होने के बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध पर लागू होगी, चाहे संगत कार्य अथवा भूल-चूक उस तारीख से पहले हुई हो ।

अनुच्छेद - तेईस
परामर्श

संविदाकारी पक्ष दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर सामान्य तौर पर अथवा किसी विशेष अनुरोध के संबंध में इस संधि की व्याख्या और अनुप्रयोग के बारे में तत्परता से परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - चौबीस
अनुसमर्थन और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी तथा अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किये जाने के 30वें दिन प्रवृत्त हो जाएगी ।

2. यह संधि तब तक लागू रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को इस आशय की लिखित सूचना भेजकर इसे समाप्त न कर दे और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो इस सूचना की प्राप्ति के छह माह बाद यह संधि प्रभावहीन हो जाएगी ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने-अपने प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस पर हस्ताक्षर किये हैं ।

आज ....में सन् दो हजार एक के जनवरी माह के तीसरे दिन मंगोलियाई, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में सम्पन्न । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

मंगोलिया की ओर से

भारत गणराज्य की ओर से

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ